

प्रपत्र-23

-: परियोजना का नाम :-

-: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगाँव में परिवहन विभाग हेतु :-
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम- गाडगाँव, तहसील बागेश्वर, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत परियोजना परिवहन विभाग के 1.कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.740 हे0 भूमि का परिवहन विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत / वार्ड गाडगाँव द्वारा दिनांक.07.05.2022.को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत / वार्ड की आम सभा की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

- उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गाडगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि परिवहन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

- प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



(भुवन चन्द्र लोहनी)

सरपंच, पूर्व वन पंचायत



(नितेश कुमार वर्मा)

सभासद, चण्डिका वार्ड, गाडगाँव



अध्यक्ष

सुरेश खेतवाल

नगर पालिका परिषद बागेश्वर

नगर पालिका अध्यक्ष, बागेश्वर।

प्रपत्र-23.1

-: परियोजना का नाम :-

-: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-

1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण


दिनांक .07.05.2022 को चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु 1.कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु आवेदित 0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, /0.320 हे0 वन पंचायत भूमि, / अर्थात कुल 0.740 हे0 वन भूमि-गैर कृषि भूमि पर परियोजना निर्माण से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में सम्पन्न आम सभा बैठक में समीक्षा के दौरान यह प्रमाणित किया गया कि:-


1. प्रस्तावित स्थल/वार्ड के अन्तर्गत कोई भी आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करता है।
2. परियोजना के निर्माण से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है।
3. किसी भी आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) के वनों पर अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
4. परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


आम सभा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण-

-:ग्राम पंचायत /वार्ड गाडगॉव बागेश्वर :-

क्रमांक	उपस्थित सभा सदस्य के नाम	Mobile No	हस्ताक्षर	तथा	टिप्पणी यदि कोई हो।
1	सुखराम लोधी	9411763797	सुखराम लोधी		
2	श्यामसुन्दर लोधी	9458303328	श्यामसुन्दर लोधी		
3	दयाल केशव लोधी	9568135193	दयाल केशव लोधी		
4	मोहन चन्द्र लोधी	9675583238	मोहन		
5	महेश सिंह नगलौधी	9411763828	महेश		
6	रवली लोधी	9412814401	रवली लोधी		

7	Dhyam chand loh	9411545161	
8	रमेश चंद्र लोहनी	9012814401	रमेश चंद्र लोहनी
9	पुष्पा लोहनी		पुष्पा लोहनी
10	अनीता लोहनी	9456533116	अनीता लोहनी
11	mamraj pathak	9639519833	mamraj
12	mukesh lohani	7710012499	mukesh
13	Rohit Lohani	7409290482	Rohit


 (भुवन चन्द्र लोहनी)
 सरपंच, पूर्व वन पंचायत


 (नितेश कुमार वर्मा)
 सभासद


 सुरेश खेतवाल
 नगर पालिका अध्यक्ष, बागेश्वर।

प्रपत्र-23.2

—: परियोजना का नाम :-

—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण

उप जिलाधिकारी, कार्यालय, बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,— बागेश्वर, उपखण्ड – बागेश्वरए परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव के अन्तर्गत उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय भवन, ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक एवं ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.420 हे0 सिविल सच्चेयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.740 हे0 भूमि) का परिवहन विभाग / प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 क अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – बागेश्वर –) की दिनांक 17.05.2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हर गिरी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2022 को आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1	श्री हर गिरी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री श्याम सिंह करायत	वन क्षेत्राधिकारी / उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3	श्री गिरीश न्योली	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4	नितेश कुमार वर्मा	बी0डी0सी0 क्षेत्र / सभासद, चण्डिका वार्ड, गाडगॉव	सदस्य
5	कृष्ण चन्द्र पलड़िया	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी	आमंत्रित / विशेष सदस्य

उपखण्ड सचिव, सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु 1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर का का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.740 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्ताव की समीक्षा के दौरान यह पाया गया तथा प्रमाणित किया गया कि:-

- ग्राम सभा गाडगॉव बागेश्वर के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।
- प्रस्तावित स्थल/वार्ड के अन्तर्गत कोई भी आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) निवास नहीं करता है।
- परियोजना के निर्माण से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है।
- किसी भी आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) के वनों पर अधिकार प्रभावित नही हो रहे हैं।
- परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।
- उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा गाडगॉव बागेश्वर द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव दिनांक 07.05.2022 के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

उपखण्ड सचिव, परिवहन विभाग, बागेश्वर


सहायक जिलाधिकारी, जनपद-बागेश्वर


अधिकारी


Land Department, R.B.D.C. Bageshwar


संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगाँव में परिवहन विभाग हेतु 1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर के निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.420 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.740 हे० वन भूमि परिवहन विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


श्री गिरीश न्योली
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव



श्री श्याम सिंह करायत,
वन क्षेत्राधिकारी /
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर


नितेश कुमार वर्मा
सभासद
गाडगाँव
सदस्य


कृष्ण चन्द्र पलडिया, सहायक सम्भागीय
परिवहन अधिकारी
बागेश्वर
प्रयोक्ता एजेन्सी


(हर गिरी)
उप जिलाधिकारी
अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर जनपद बागेश्वर
उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय को चण्डिका वार्ड गाडगाँव की आमसभा द्वारा निर्गत प्रमाण- पत्र सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी
अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर जनपद बागेश्वर
उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

प्रपत्र-23.3

—: परियोजना का नाम :—


—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :—


1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण


जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र


जनपद- बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु 1.कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु आवेदित 0.420 हे0 सिविल सोयम भूमि, /0.320 हे0 वन पंचायत भूमि, / अर्थात कुल 0.740 हे0 वन भूमि-गैर कृषि भूमि परिवहन विभाग बागेश्वर/प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा / वार्ड (चण्डिका वार्ड गाडगॉव) द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं।


वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।



(दीपिका शर्मा) तहसीलदार
तहसीलदार, बागेश्वर


(गिरीश च्यौली)
सहायक समाज कल्याण अधिकारी


बी0डी0सी0 क्षेत्र /
सभासद, चण्डिका वार्ड, गाडगॉव


(कृष्ण चन्द्र चिलडिया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी


(हर गिरी)
उप जिलाधिकारी बागेश्वर


(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर

सहायक सञ्चालक परिवहन अधिकारी
बागेश्वर


(विनीत कुमार)
जिलाधिकारी बागेश्वर

प्रपत्र-23.4


—: परियोजना का नाम :—


—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :—
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण


जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र


जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजना ग्राम गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु 1.कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु 0.740 हे० वन भूमि परिवहन विभाग बागेश्वर / प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

विषयगत परियोजना ग्राम गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु 1.कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक तथा 3. ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु आवेदित 0.420 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.320 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.740 हे० वन भूमि / गैर कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



(दीपिका शर्मा) तहसीलदार
तहसीलदार, बागेश्वर



सहायक समाज कल्याण अधिकारी
(गिरीश न्योली)


बी०डी०सी० क्षेत्र /
सभासद, चण्डिका वार्ड, गाडगॉव


(कृष्ण चन्द्र पलड़िया)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
बागेश्वर


(हर गिरी)
उप जिलाधिकारी, बागेश्वर
उपजलाधिकारी
बागेश्वर


प्रभाकर (हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
बागेश्वर


(विनीत कुमार)
जिलाधिकारी बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रारूप-23.A

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-II
(For projects other than linear projects)

परियोजना का नाम :-

—: जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगाँव में परिवहन विभाग हेतु :-
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर का निर्माण

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector –BAGESHWAR

No. 489

Dated 04/06/2022

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliancance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.740 Hectares of forest land {0.420 Hectare Civil Soyam Land {Z.A.5(3) (ड॰)} and 0.320 Hectare Van Panchayat land} proposed to be diverted in favour of Assistant Regional Transport Office Bageshwar/ Transport Department Bageshwar for construction of Non Residential Office Premises, Driving Testing Track, and Traffic Awareness Centre in BAGESHWAR district falls within jurisdiction of Chandika Ward Gaadgaon in Nagarpalika Bageshwar / Tehsil Bageshwar .

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.740 Hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2, 23.B.
- The proposal for the diversion of the 0.740 Hectares of forest land {0.420 Hectare Civil Soyam Land {Z.A.5(3) (ड॰)} and 0.320 Hectare Van Panchayat land} have been placed before each concered (Chandika Ward Gaadgaon, Nagarpalika Bageshwar) Grama/ Ward Sabha of Non forest-dwellers, and found that the Proposed project has NO IMPLICATION in vernacular and local language.

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर।

— 82 —

उपसहायक परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

- c) The concerned Gram / Ward Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion [the compensation and ameliorative measures:- Not Applicable] having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of NO Objection certificate issued by the members of Chandika Ward Gaadgao, Nagarpalika Bageshwar, is enclosed as annexure 23' 23.1 and Annexure 21.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- f) No Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities reside in the proposed land area.
- g) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, have not been affected by the construction of the said project. (and thus the rights remain specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA)

Place :_ Bageshwar.

Dated :_ 04/06/2022

(VINEET KUMAR, IAS)
(District Collector)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
बागेश्वर

तहसीलदार
बागेश्वर

समन्वय परिचालन अधिकारी
बागेश्वर

प्रारूप- 23-B

परियोजना का नाम :-

- : जनपद बागेश्वर में नगरपालिका बागेश्वर के अन्तर्गत चण्डिका वार्ड के गाडगॉव में परिवहन विभाग हेतु :-
1. अन-आवासीय कार्यालय भवन, 2. ऑटोमेटेड ड्राइविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा 3 ट्रैफिक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण

Office Of The DEPUTY COMMISSIONER/ DISTRICT MAGISTRATE - BAGESHWAR, Uttarakhand

No-490

Dated-04/06/2022





To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

DISTRICT BAGESHWAR (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Vineet Kumar, I.A.S., District Magistrate, Bageshwar on dated 04/06/2022 at time 02 AM / PM at Collectorate Meeting Hall, D. M. Office Bageshwar to consider and process the applications claiming the rights in Propopsed area measuring 0.740 Hectare {0.420 Hectare Civil Soyam Land {Z.A.5(3) (ड॰)} and 0.320 Hectare Van Panchayat land} for the construction of the said project {i.e. Transport Department Office Premises + Driving Testing Track+ Traffic Awareness Centre} under F.R.A. 2006.

The Constitution of the meeting is as followes.

1	Mr Vineet Kumar,	District Megistrate	Chairman	
2	Mr Himanshu Bagri	Divisional Forest Officer	Member	
3	Mr Har Giri	Sub Divisional Magistrate	Member	
4	Mr Lekhraj	Geologist, / Dy Director Geology and Mining	Member	
5	Mr Krishna Chandra Palariya	Assistant regional transport Officer	Member secretary, User Agency	

सहायक न्यायाधीश परिवहन अधिकारी
बागेश्वर

उपजिलाधिकारी

Agenda Points of the meeting are as folowes:-

1. Application/ Claim by the Village Members.

- It is intimated that NEITHER any application or Claim had been received from the Local Residents near the proposed site i.e. Gaadgaon, Chandika ward in Nagarpalika Bageshwar NOR any application or claim is pending at any level.

2. Further findings and certifications of the Committee :-

- The members of Gaadgaon have issued a NO ObJECTION CERTIFICATE dated 07.05.2022 for the construction of the said project.
- **NO** PREMITIVE TRIBAL GROUPS and PRE AGRICULTURAL TRIBAL GROUPS reside in the proposed project area.
- NO land in respect of any Schedule Tribe and Forest Dwellers is being acquired under Forest Conservation Act 2006.
- No Forest rights in respect of any PREMITIVE TRIBAL GROUPS and PRE AGRICULTURAL TRIBAL GROUPS are being affected.
- No Forest Right Claim or application in the proposed project land is pending at any level.
- The findings and recommendation of the Committee at Sub Divisional Level chaired By S. D. M. Bageshwar, met at 17.05.2022, which has also recommended the diversion of the proposed land in favour of the User Agency, have also been considered.

○

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made and hence the District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place :_ Bageshwar .

Dated 04/06/2022



(Krishna Chandra Palariya)
Assistant regional transport Officer
User Agency

सहायक सञ्चालक परिवहन अधिकारी
बगेश्वर



(Lekhraj)
Geologist
Dy Director Geology and Mining
भूतत्व एवं खनिकी विभाग
जनपद-बगेश्वर

उपनिवेशाधिकारी
(Har Giri)

Sub Divisional Magistrate



(Himanshu Bagri)
Divisional Forest Officer
बगेश्वर

(VINEET KUMAR, IAS)

District Collector/
District Magistrate Bageshwar

जिलाधिकारी
बगेश्वर